

अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजन : भूमिकाएं एवं जन-सम्पर्क का अध्ययन

गौरव यादव

(शोध-छात्र), जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, (फिरोजाबाद) उ0प्र0

Abstract

निःसन्देह; विश्व का कोई भी समाज उस समय तक प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह सभी नागरिकों को समान रूप से निर्णय की प्रक्रिया में सहभागी होने का अधिकार प्रदान नहीं कर देता। प्रजातांत्रिक समाजों में किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज की आधारशिला ही सभी जाति वर्ग के व्यक्तियों की सहभागिता है। जहाँ भारतीय संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता हेतु संविधान के अनुच्छेद-330 तथा 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षित किए गए हैं। ताकि विकास की भूमिका को निम्नता से उच्चता की ओर 'आरोही विकास के सोच' के साथ आमजनों के साथ-साथ शोषित, पीड़ित तथा वंचितों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक विकास सम्भव हो सके। यह सोच कितना उचित और कहाँ तक सार्थक है, प्रस्तुत अध्ययन उक्त सन्दर्भ की सत्यता व सार्थकता के मूल्यांकन की दिशा में एक लघु प्रयास है।



[Scholarly Research Journal's](http://www.srjis.com) is licensed Based on a work at www.srjis.com

राजनीतिशास्त्री परैटा¹ (1961:552) के अनुसार अभिजन; प्रभावशाली, कुशल, चतुर और समाज के शासक होते हैं, जबकि नैडेल² (1959:8) के अनुसार किसी भी अभिजन की पहचान कराने वाला प्रमुख लक्षण 'सामाजिक श्रेष्ठता' है; वहीं पैरी³ (1969:13) का मत है अभिजन वर्ग, वह अल्पसंख्यक समूह हैं जो सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों में अपवाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि सी0 राइट मिल्स⁴ (1956:44) के शब्दों में अभिजन उन व्यक्तियों का संगठन है जो धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रभावी होते हैं और अपनी इच्छाओं का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, और साथ ही ये महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निर्णय देने की दशा में होते हैं। अर्थात् ये समाज के "मत निर्णायक" होते हैं। परन्तु समाजशास्त्री मोस्का⁵ (1959:37) का कथन है कि राजनीतिक अभिजन वर्ग में समाज कल्याण हेतु राजनीतिक सत्ताधारियों का समावेश हाता है। जबकि मार्शल⁶ (1964:11) के अनुसार इनका उद्देश्य अपना दूरगामी लक्ष्य प्राप्त करना होता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पादित किया गया—

- (1) अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।
- (2) अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों द्वारा चुनाव लड़ने के कारणों की जानकारी करना।

- (3) अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों द्वारा चुनाव के समय जनता को दिए गए आश्वासनों का अध्ययन करना।
- (4) अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के साथ होने वाले अन्यायों के सम्बन्ध में अभिजनों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं का अध्ययन करना।
- (5) अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता से सम्पर्क-सम्बन्धों का अध्ययन करना।

किसी भी शोध को केन्द्रित करने के लिए शोधकर्ता को परिकल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है ताकि शोध का सही दिशा मिल सके (गुडे एण्ड हाट⁷ (1956:57)) इसलिए निम्न परिकल्पनाएं निर्मित कर निदर्शित विधान मण्डलीय अभिजन सूचनादाताओं की सहायता से समाज वैज्ञानिक आधार पर उनकी सत्यता तथा सार्थकता को प्रमाणीकृत करने का प्रयास भी किया गया है। इस अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नवत् हैं :

- (1) अनुसूचित जाति वर्ग के अशिक्षितों की अपेक्षा; शिक्षितों को नेतृत्व के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं,
- (2) अधिक आयु के लोगों की अपेक्षा, 'युवा वर्ग' नेतृत्व की ओर अधिक अभिमुखीकृत होते हैं,
- (3) एकाकी परिवारों की अपेक्षा, संयुक्त परिवारों के लोगों को नेतृत्व के अधिक अवसर प्राप्त हैं,
- (4) आधुनिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण नेतृत्व की प्रकृति 'प्रदत्त' न होकर 'अर्जित' होती जा रही है।
- (5) 'मध्यम तथा मध्यम-उच्च' आयु वर्ग के लोगों को; निम्न आयु वर्ग की अपेक्षा नेतृत्व के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं।
- (6) संवैधानिक विशेषाधिकार के तहत 'प्रदत्त आरक्षण' ने अनुसूचितों को नेतृत्व के अधिक अवसर सुलभ किए हैं।
- (7) चुनाव लड़ने का कारण; अपने विधान सभा क्षेत्र का विकास तथा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना है।

न्यादर्श-चयन :

शोध-अध्येता ने प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने के लिए सूचनादाताओं के रूप में उ0प्र0 की 17वीं विधान सभा के अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों कुल 96 (93 एम0एल0ए0 + 3 एम0एल0सी0) में से 12.5% प्रतिनिधित्व के आधार पर कुल 12 अभिजन प्रतिनिधियों को "संयोग निदर्शन की लॉटरी" विधि से चुना गया है जो इस अध्ययन की इकाईयाँ/सूचनादाता हैं।

पद्धतिशास्त्र :

अध्ययन के सम्बन्ध में प्राथमिक तथ्यों का संकलन "साक्षात्कार-अनुसूची" पद्धति द्वारा 'असहभागी अवलोकन प्रविधि' अपनाते हुए सूचनादाताओं से आमने-सामने की प्रत्यक्ष स्थिति में

‘व्यक्तिगत’ साक्षात्कार सम्पन्न करके किया गया है; तथा संकलित तथ्यों का विश्लेषण ‘साँख्यकीय विधि’ से करते हुए तथ्यपरक निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं।

ऑकड़ा-संकलन, विश्लेषण तथा निर्वाचन :

तालिका नं० (1) : विधान मण्डलीय अभिजनों की वैयक्तिक तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

क्र०	वर्गीकरण	पुरुष	महिलाएं	समस्त	
1	लिंग-भेद	8(66.67)	4(33.33)	12(100.00)	
2	आयु संरचना	30 या कम 7(58.00)	30-40 3(25.00)	40-50 तथा ऊपर 2(16.67)	समस्त 12(100.00)
3	शैक्षिक स्तर	निरक्षर 2(16.67)	साक्षर 4(33.33)	शिक्षित 6(50.00)	समस्त 12(100.00)
4	वैवाहिक स्तर	अविवाहित 4(33.33)	विवाहित 6(50.00)	अन्य 2(16.67)	समस्त 12(100.00)
5	मासिक आय (रु० में)	15000 से कम 3(25.00)	15000 से 25000 4(33.33)	25000 से अधिक 5(41.67)	समस्त 12(100.00)
6	परिवार का स्वरूप	एकाकी 4(33.33)	संयुक्त 8(66.67)	प्रवासी --(00.00)	समस्त 12(100.00)

तालिका नं० (2) : विधान सभा चुनाव लड़ने का कारण (अभिजनों के अनुसार)

क्र०	चुनाव लड़ने का कारण	आवृत्तियाँ / प्रतिशत				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	जनता की सेवा करना	9(75.00)	1(8.33)	--(00.00)	2(16.67)	12(100.00)
2	राजनैतिक शक्ति प्राप्त हेतु	7(58.33)	--(00.00)	5(41.67)	--(00.00)	12(100.00)
3	सवर्णों द्वारा भौति-भौति के अत्याचारों व उत्पीड़न से बचाव हेतु	8(66.67)	2(16.67)	2(16.67)	--(00.00)	12(100.00)
4	अन्य कारण	4(33.33)	5(41.67)	2(16.67)	1(8.33)	12(100.00)

प्रस्तुत तालिका में प्रदर्शित प्राथमिक तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि अभिजनों द्वारा विधान सभा चुनाव लड़ने का कारण 9(75%) निर्दिष्टों के अनुसार जनता की सेवा करना, 7(58.33%) निर्दिष्टों के अनुसार राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना, 8(66.67%) निर्दिष्टों के अनुसार सवर्णों द्वारा किए जाने वाले भौति-भौति के अत्याचारों व उत्पीड़न से बचाव हेतु तथा 4(33.33%) निर्दिष्टों ने अन्य कारणों (यथा: अपने जाति मुहल्लों के विकास कार्य कराने, तथा शासन द्वारा दी जाने वाली विकास धनराशियों के सन्दर्भ में हो रहे भ्रष्टाचारों को रोकने के कारणों) से चुनाव लड़े हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांशतः अनुसूचित जाति अभिजनों के चुनाव लड़ने का मुख्य कारण ‘जनता की सेवा करना’ रहा है। जबकि गौण कारण सवर्णों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों व उत्पीड़न से शोषित, पीड़ित व वंचित वर्गों की रक्षार्थ चुनाव लड़े तथा जीते हैं।

तालिका नं0 (3) : अभिजनों द्वारा चुनाव के समय जनता को दिए गए आश्वासन

क्र0	दिए गए आश्वासन	सूचनादाता (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	दलीय सिद्धान्तों का पालन	6(50.00)	—(00.00)	6(50.00)	6(50.00)	12(100.00)
2	स्थानीय विकास कार्य	12(100.00)	—(00.00)	—(00.00)	—(00.00)	12(100.00)
3	भ्रष्टाचार की समाप्ति	7(58.33)	2(16.67)	3(25.00)	3(25.00)	12(100.00)
4	जनता की सेवा	11(91.67)	1(8.33)	—(00.00)	—(00.00)	12(100.00)
5	दलित वर्गों का विकास (उत्थान)	9(75.00)	—(00.00)	3(25.00)	3(25.00)	12(100.00)

प्रसंगाधीन तालिका क प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समस्त 12 अनुसूचित जाति अभिजनों द्वारा चुनाव के समय जनता को दिए आश्वासनों के प्रसंग में 6(50%) निर्दिष्टों ने दलीय सिद्धान्तों का पालन करना, 12(100.00%) निर्दिष्टों ने स्थानीय विकास कार्य कराना, 7(58.33%) निर्दिष्टों ने भ्रष्टाचार की समाप्ति, 11(91.67%) निर्दिष्टों ने जनता की सेवा करना तथा 9(75.00%) निर्दिष्टों ने दलित वर्गों का विकास (उत्थान) आदि विभिन्न तरह के आश्वासन देने वाले अभिजनों का निर्वाचन हुआ है।

तालिका नं0 (4) : विधान मण्डलीय अभिजनों द्वारा निर्वाह को जाने वाली भूमिकाएं

क्र0	अभिजनों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं	संख्या	प्रतिशत
1	क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को विधान सभा में उठाना	4	33.33
2	शोषित, पीड़ित तथा वंचित वर्गों के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध व वैधानिक कार्य करना	3	25.00
3	क्षेत्रीय विकास कार्यों को कराने सम्बन्धी भूमिकाएं	5	41.67
	समस्त	12	100.00

प्रसंगाधीन तालिका के प्राथमिक तथ्य स्पष्ट करते हैं कि कुल 12 सूचनादाताओं में से 4(33.33%) निर्दर्श सूचनादाताओं के अनुसार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधान सभा में उठाना, 3(25.00%) निर्दर्शितों के अनुसार शोषित, पीड़ित तथा समाज के वंचित वर्गों के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों व गलत बातों का विरोध कर; वैधानिक कार्य करना तथा 5(41.67%) निर्दिष्टों के अनुसार अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को कराने सम्बन्धी भाँति-भाँति की भूमिकाएं निर्वाह कर रहे हैं।

तालिका नं0 (5) : अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होने वाले अन्याय के सम्बन्ध में अभिजनों की भूमिकाएं

क्र0	अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्यायों के प्रति अभिजनों की भूमिकाएं	अभिजनों की संख्या/प्रतिशत			योग
		हाँ	नहीं	उदासीन	
1	अन्याय के प्रति विधान सभा में आवाज उठाना	12(100.00)	—(00.00)	—(00.00)	12(100.00)
2	अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रेरित कर समस्याएं सुलझाना	6(50.00)	—(00.00)	6(50.00)	12(100.00)
3	अनुसूचित जाति वर्ग की सभाओं को सम्बोधित करना	5(41.67)	7(58.33)	—(00.00)	12(100.00)
4	अनुसूचित जाति वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को सुलझाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करना आदि	4(33.33)	3(25.00)	5(41.67)	12(100.00)

अनुसूचित जाति वर्गों के साथ होने वाले अन्यायों (अत्याचारों) के सम्बन्ध में अभिजनों की भूमिका निर्वाह के बारे में स्पष्ट है कि— (1) अन्याय के प्रति विधान सभा में समस्याएं उठाना, (2) अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को प्रेरित कर उनकी समस्याएं सुलझाना, (3) अनुसूचित जाति वर्ग की सभाओं को सम्बोधित करना, (4) अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अन्यायों से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें समस्या से अवगत कराकर समस्या का समाधान कराना आदि भूमिकाएं सक्रियता के साथ निभाते हैं।

तालिका नं० (5) : विधान मण्डलीय अभिजनों द्वारा क्षेत्र की जनता से सम्पर्क

क्र०	जनता से सम्पर्क करने सम्बन्धी विधियाँ	संख्या	प्रतिशत
1	व्यक्तिगत सम्पर्क	4	33.33
2	सार्वजनिक सभा आयोजित कर सम्पर्क	2	16.67
3	व्यक्तिगत सम्पर्क तथा सार्वजनिक सभा द्वारा सम्पर्क आदि	6	50.00
समस्त		12	100.00

प्रस्तुत तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से स्पष्ट है कि समस्त 12 अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों में स 4(33.33%) ने क्षेत्र की जनता से व्यक्तिगत सम्पर्क करके, 2(16.67%) ने सार्वजनिक सभा आयोजित करके तथा 6(50%) ने व्यक्तिगत सम्पर्क तथा सार्वजनिक सभा द्वारा 'सम्पर्क करना' स्वीकार किया है।

परिकल्पनाओं की जाँच तथा निष्कर्ष :

प्रस्तुत आनुभविक अध्ययन के प्राथमिक तथ्यों के आलोक में अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों के सन्दर्भ में निर्मित भोध परिकल्पनाओं के परीक्षणोपरान्त निम्न निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं :

- H₁** : अनुसूचित जाति वर्ग के अशिक्षितों की अपेक्षा; शिक्षितों को नेतृत्व के अवसर अधिक प्राप्त हुए हैं। यह परिकल्पना सत्य तथा प्रासंगिक पायी गयी है।
- H₂** : अधिक आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा; युवा वर्ग नेतृत्व की ओर अधिक अभिमुखीकृत हुआ है, यह परिकल्पना भी सत्य तथा सार्थक पायी गयी है।
- H₃** : एकांकी परिवारों की तुलना में; संयुक्त परिवारों के लोगों को नेतृत्व करने के अधिक अवसर प्राप्त हैं, यह परिकल्पना भी सत्य तथा सार्थक सिद्ध हुई है।
- H₄** : आधुनिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं विशेषकर (आधुनिकीकरण के कारण) नेतृत्व की प्रकृति 'प्रदत्त' न होकर, 'अर्जित' प्रकृति की पायी गयी है।
- H₅** : यह परिकल्पना भी सत्य सार्थक तथा प्रासंगिक पायी गयी है कि 'मध्यम' तथा 'मध्यम-उच्च' आयु वर्ग के लोगों को; निम्न आयु वर्ग की अपेक्षा नेतृत्व के अवसर अधिक सुलभ हुए हैं।

H₆ : संवैधानिक विशेषाधिकार के तहत संवैधानिक 'प्रदत्त आरक्षण' ने अनुसूचित जाति वर्गों को नेतृत्व के अधिक अवसर प्रदान किए हैं, यह परिकल्पना भी सत्य तथा सार्थक पायी गयी है।

H₇ : विधान मण्डलीय चुनाव लड़ने का मुख्य कारण अपने विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्गों का विकास करना तथा 'राजनैतिक शक्ति' प्राप्त करना है, यह परिकल्पना भी सत्य तथा सार्थक सिद्ध हुई है।

सुझाव :

शोधार्थी की मान्यता है कि अनुसूचित जाति वर्गों के समग्र उत्थान हेतु सदियों से शोषित, पीड़ित तथा वंचित वर्गों के लोगों में राजनैतिक जागरूकता जनित करने के यथा- सम्भव प्रयास किए जाँय ताकि विकास की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्हें सहभागी होने का अवसर अधिकाधिक सुलभ हो सकें, जो कि सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला तथा आत्मा है।

सन्दर्भ सूची (References) :

Pandit V.L. ; Political Elite, Indian Context, Macmillan Publishing Co. Delhi, 1978

Nadel S.F. ; The Concept of Social Elites, International Social Science Bulletin, 1956

Parry Geriant ; Political Elites, George Allen and Unwin Ltd. London, 1969

Mills C. Wright, The Power Elite, The Free Press, Glencoe, New York, 1956

Mosca Gaetano ; The Ruling Class, MC-Graw Hill Book Co., Katakusha, 1959

*Singer Marshal R. ; The Emerging Elite, A Study of Political Leadership in Celon, The Free Press
Glencoe, 1964*

Goode W.J. et al.. Methods in Social Research, Mac Graw Hill Book Co., London 1956